भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4039

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

असम की अनुसूचित जनजाति सूची में समुदायों को शामिल करना

4039. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
श्री कामाख्या प्रसाद तासा:
श्री फणी भूषण चौधरी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में रहने वाले जनजातीय लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है और उनमें आरक्षण प्राप्त जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है;
(ख) क्या असम की अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में ताई अहोम, शूटिया, मोतोक, मोरन, कोच-राजबोंग्शी और टी जनजाति के समुदायों को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा कोई विधेयक/विधान पुर:स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में उपरोक्त छह समुदायों को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक शामिल किया जायेगा;
(ङ) क्या बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इन्हीं समुदायों को जनजातीय दर्जा प्राप्त है जबकि असम में नहीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार ने मौजूदा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कोटे को प्रभावित किए बिना उक्त छह समुदायों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या असम राज्य सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए गठित मंत्रियों की समिति से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, असम में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 38,84,371 है और आरक्षण पाने वाली आदिवासी आबादी का प्रतिशत 12.4% है (2011 की जनगणना के अनुसार)।

(ख) से (घ): ताई अहोम, शूटिया, मोतोक, मोरन, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजातियों को शामिल करने की सिफारिश असम राज्य सरकार से प्राप्त हुई है।

भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियां के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक(आर.जी.आई.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के द्वारा सहमति प्राप्त हो । सभी कार्यवाही अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं।

(ङ): उक्त समुदाय बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(च): असम सरकार ने सूचित किया है कि "राज्य में छह समुदायों के लिए आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने, असम में एक नई एसटी श्रेणी के निर्माण के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण की संशोधित मात्रा का सुझाव देने और असम की मौजूदा अनुसूचित जनजातियों के हितों, अधिकारों और विशेषाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के लिए पहले मंत्रियों के समूह की एक समिति गठित की गई थी। पूर्ववर्ती समिति ने विभिन्न समुदायों के साथ-साथ आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों और नेताओं के साथ कई दौर की चर्चा की। उसी समिति का अब दिनांक 04/07/2024 को पुनर्गठन किया गया है।"

(छ): असम राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****